

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक: एफ/महा.वि.प./2011/3539


दिनांक: 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : एन.ए.एस. महाविद्यालय, पोरसा (म.प्र.)
मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. सुभाष शर्मा, आचार्य, विधि विभाग, शासकीय एम.एल.बी. कॉलेज, ग्वालियर
2. श्री के.पी. सिंह, सदस्य, महासभा, जी.वि.वि., ग्वालियर


उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।


अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, एन.ए.एस. महाविद्यालय, पोरसा (म.प्र.) की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूजीवसिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/4249

दिनांक : 21/12/11

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार एन.ए.एस. महाविद्यालय, पोरसा को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (आ.पा., राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत) तथा बी.एस-सी. (आ.पा., रसायन, प्राणिकी, वनस्पति, भौतिकी, गणित कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- प्रयोगशाला हेतु रु. 25000/- सामग्री क्रय की जाये।
- पुस्तकालय में सन्दर्भ पुस्तकें क्रय की जाये।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

- प्राचार्य, एन.ए.एस. महाविद्यालय, पोरसा।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूजीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4256

दिनांक: 21/12/11

//संशोधित सूचना //


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध एन.ए.एस. महाविद्यालय, पोरसा, जिला - मुरैना (98262-63666) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (आ.पा., राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत), बी.एस-सी. (आ.पा., रसायन, प्राणिकी, वनस्पति, भौतिकी, गणित कम्प्यूटर साइंस), पी.जी.डी.सी.ए., बी.ए.-प्रथम कम्प्यूटर एप्ली. अति.वि. एवं बी.एस-सी.-प्रथम अति. वि. माइक्रोबायलॉजी पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद., जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442828)
- (2) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- (3) प्रो. एस.के. शुक्ला, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- (4) डॉ. एस.डी. सिसौदिया, उपाचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वास्तु शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जावेगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करवेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करवें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



जान : ०९०२०२०
दूरभाष : ०२९१-०७५१ २४४२८० (कार्यालय)
२४४२४६२ (निवास)
फैक्स : ०२९१-०७५१-२३४१७६६
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/२०१२/५८५०

दिनांक : १०/०५/१२

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा २६(i)(v) एवं २४(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक २२ मार्च २०१२ के पद क्रमांक (१३) के निर्णयानुसार एन.ए.एस. महाविद्यालय, पोरसा, जिला - भुरैना को सत्र २०११-१२ के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (आ.पा., राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत), बी.एस-सी. (आ.पा., रसायन, प्राणिकी, वनस्पति, भौतिकी, गणित कम्प्यूटर साइंस), पी.जी.डी.सी.ए., बी.ए.-प्रथम कम्प्यूटर एप्ली. अति.वि. एवं बी.एस-सी-प्रथम अति. वि. माइक्रोबायोलॉजी कार्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्त/प्रतिबंध :-

- महाविद्यालय द्वारा बी.एस-सी. माइक्रोबायोलॉजी प्रथम में लगभग ४० छात्रों को प्रवेश दिया गया है। एवं उनकी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा भी हो चुकी है। छात्रहित में समिति केवल सत्र २०११-१२ के लिये बी.एस-सी. माइक्रोबायोलॉजी की सम्बद्धता हेतु अनुमति करती है। किन्तु सत्र २०१२-१३ में इस कार्यक्रम में किसी भी छात्र को प्रवेश न दिया जावे। क्योंकि महाविद्यालय में इस विषय से संबंधित कोई भी उपकरण एवं लैब नहीं है।
- महाविद्यालय में साइंस प्रयोगशालाओं की स्थिति अत्यधिक खराब है। महाविद्यालय सत्र २०११-१२ में ही २ लाख के उपकरण साइंस प्रयोगशालाओं हेतु क्रय करें एवं प्रयोगशालाओं का व्यवस्थित निर्माण किया जावे, केवल कमरों में उपकरणों को प्रदर्शन हेतु रखा गया है। working lab बनाई जावे।
- पुस्तकालय में वर्तमान सत्र में २ लाख की पुस्तकें क्रय की जावे। धन संख्या के हिसाब से पुस्तकें उपर्याप्त है।
- वर्तमान में मात्र प्राचार्य एवं एक शिक्षक ही २८(१७) के अन्तर्गत नियुक्त हैं। यह भी निरीक्षण के दौरान उपस्थित नहीं थे। सभी विषयों में कम से कम २० (बीस) शिक्षकों की नियुक्ति २८(१७) के अन्तर्गत तीन माह में की जावे।
- श्रेल मैदान उपलब्ध नहीं है, खेल मैदान को विकसित किया जावे।
- पी.जी.डी.सी.ए. सीट संख्या ४०(बैलीस) बी.ए., कम्प्यूटर एप्लीकेशन की सम्बद्धता प्रदान की जावे किन्तु इस हेतु कोई अनिश्चित सीट संख्या स्वीकृत नहीं की जाती है। बी.ए. में वर्तमान में उपलब्ध सीट संख्या ही मन्व।
- उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण अगले सत्र से पहले मार्च/अप्रैल में पुनः किया जावे। ताकि अगले सत्र की सम्बद्धता से पहले शर्तों की पूर्ति का निरीक्षण किया जा सके।
- परिनियम २८(१७) का पालन सुनिश्चित किया जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

- प्राचार्य, एन.ए.एस. महाविद्यालय, पोरसा, जिला - भुरैना
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-वंगल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-०३, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)